न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

तारीख रजू:– 22.7.2020

3/2020

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

उनवान

भौमसिंह उम्र 57 साल पुत्र हरना जाति मीना निवासी शेखपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज0) (वादी)

बनाम

तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली (प्रतिवादी)

दावा बावत इस्तकरार हक व इन्द्राज हक दुरस्ती नाम अंतर्गत धारा 88 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट व धारा 136 लेन्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थिति:– श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट (वादी)

पैरोकार सरकार (प्रतिवादी)

दिनांक:– 19.11.2020

निर्णय

वादी ने दावा इस प्रकार पेश किया है कि ग्राम शेखपुरा स्थित भूमि **खाता संख्या 157** में वर्णित खसरा नं 141 रकवा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 148 रकवा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 149 रकवा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 157 रकवा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 158 0.06 हैक्टेयर, 159 रकवा 0.06 है0, 1625 रकवा 0. 28, खसरा नम्बर 1626 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 164 रकवा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1644 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1645 रकवा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 183 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 96 रकबा व.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.12 हैक्टेयर कुल किता 14 रकवा 2.38 है0 **,खाता सं 351** में खसरा नम्बर 1569 रकबा 0.25 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1570 रकवा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1964 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1970 रकवा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1989 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2073 रकववा 0.11 खसरा नम्बर 2084 रकवा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2085 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2091 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2261 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2298 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2302 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2528 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2538 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 369 रकवा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 393 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 394 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 395 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 396 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 412 रकबा 0.32 हैक्टेयर, कुल किता 20 कुल रकबा, 3.19 हैक्टेयर, **खाता सख्या 99** मे ख0न0 2061 रकवा 0.04 कुल किता1 कुल किता 1 कुल रकबा 0.04 हैक्टेयर **खाता सं 299** में वर्णित खसरा नम्बर 2027 रकबा 0.08 हैक्टेयर

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

63 / 2020 तारीख रजू:– 22.7.2020

पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

उनवान

भौमसिंह उम्र 57 साल पुत्र हरना जाति मीना निवासी शेखपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज0) (वादी)

बनाम

तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली (प्रतिवादी)

दावा बावत इस्तकरार हक व इन्द्राज हक दुरस्ती नाम अंतर्गत धारा 88 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट व धारा 136 लेन्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितिः– श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट (वादी)

पैरोकार सरकार (प्रतिवादी)

निर्णय दिनांकः– 19.11.2020

वादी ने दावा इस प्रकार पेश किया है कि ग्राम शेखपुरा स्थित भूमि **खाता संख्या 157** में वर्णित खसरा नं 141 रकवा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 148 रकवा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 149 रकवा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 157 रकवा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 158 0.06 हैक्टेयर, 159 रकवा 0.06 है0, 1625 रकवा 0. 28, खसरा नम्बर 1626 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्ब्र 164 रकवा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1644 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1645 रकवा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 183 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 96 रकवा व.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.12 हैक्टेयर कुल किता 14 रकवा 2.38 है0 **,खाता सं 351** में खसरा नम्बर 1569 रकबा 0.25 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1570 रकवा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1964 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1970 रकवा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्ब्र 1989 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्वर 2073 रकबवा 0.11 खसरा नम्बर 2084 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2085 रकवा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2091 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2261 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2298 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2302 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2528 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2538 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 369 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 393 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 394 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 395 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 396 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 412 रकबा 0.32 हैक्टेयर, कुल किता 20 कुल रकबा, 3.19 हैक्टेयर, **खाता सख्या 99** मे ख0न0 2061 रकवा 0.04 कुल किता1 कुल किता 1 कुल रकबा 0.04 हैक्टेयर **खाता सं 299** में वर्णित खसरा नम्बर 2027 रकबा 0.08 हैक्टेयर

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

कुल किता 1 कुल रकबा 0.08 हैक्टेयर में वादी के हिस्से के आगे खातेदारी में दर्ज नाम भीमसिंह पुत्र हरना/भैरूसिंह पुत्र हरना नाम दर्ज है, जबकि सही नाम भौमसिंह पुत्र हरना है तथा यह भूमि वादी को अपने पिता से विरसत में मिली है, पटवारी हल्का से खातेदारी दर्ज करते समय क्लेरीकल मिस्टेक हो गई है, वादी के आधार कार्ड भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंक तालिका में भौमसिंह पुत्र हरना नाम दर्ज है। वादी का नाम अशुद्व दर्ज होने के कारण काफी परेशानी हो रही है। वादी दिनांक 16.07.2020 पटवारी हल्का के पास केसीसी की फाईल बनवाने गया, तब जानकारी हुई, उसके बाद टोडाभीम तहसीलदार से निवेदन किया, तो उन्होने कहा कि दुरूस्ती का दावा पेश करो , तभी तुम्हारा नाम सही हो सकता है। इसलिये यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी बावत इन्द्राज दुरूस्ती नाम इस्तकरारहक डिक्री किया जाकर ग्राम शेखपुरा स्थित भूमि खाता संख्या 157 में वर्णित खसरा नं 141 रकवा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 148 रकवा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 149 रकवा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 157 रकवा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 158 0.06 हैक्टेयर, 159 रकवा 0.06 है0, 1625 रकवा 0.28, खसरा नम्बर 1626 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्ब्र 164 रकवा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1644 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1645 रकवा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 183 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 96 रकबा व.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.12 हैक्टेयर कुल किता 14 रकवा 2.38 है0 खाता सं 351 में खसरा नम्बर 1569 रकबा 0.25 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1570 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1964 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1970 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्ब्र 1989 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2073 रकवा 0.11 खसरा नम्बर 2084 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2085 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2091 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2261 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2298 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2302 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2528 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2538 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 369 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 393 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 394 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 395 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 396 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 412 रकबा 0.32 हैक्टेयर, कुल किता 20 कुल रकबा, 3.19 हैक्टेयर खाता सख्या 99 मे ख0न0 2061 रकवा 0.04 कुल किता1 कुल किता 1 कुल रकबा 0.04 हैक्टेयर खाता सं 299 में वर्णित खसरा नम्बर 2027 रकबा 0.08 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.08 हैक्टेयर में दर्ज नाम भीमसिह पुत्र हरना/भैरूसिंह पुत्र हरना के स्थान पर भौमसिंह पुत्र हरना दर्ज करने के आदेश फरमावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार की और से जबाब पेश किया कि ग्राम शेखपुरा की साबिक जमाबन्दी सम्वत 2038-41 के खाता संख्या 29 मे हरना के फौत होने पर विरासत के नामांतकरण से भीमसिंह पुत्र हरना के नाम खातेदारी दर्ज हुई है। ग्राम शेखपुरा की सेग्रीगेशन जमाबन्दी के खाता संख्या 157 मे भी भीमसिंह पुत्र हरना एवं भैरूसिंह पुत्र हरना का नाम खातेदारी मे दर्ज है। भीमसिंह पुत्र हरना भैरूसिंह पुत्र हरना व भौमसिंह पुत्र हरना एक ही व्यक्ति है। जिसका वास्तविक नाम भौमसिंह पुत्र हरना है। जो सही है।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

वादी वकील ने रिपोर्ट जबाव नायब तहसीलदार बालघाट का अवलोकन करने के बाद वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया कि वादी का वास्तविक सही नाम भौमसिंह पुत्र हरना है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका, मूल निवास प्रमाण पत्र, भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र एवं आधार कार्ड मे सही नाम भौमसिंह पुत्र हरना ही दर्ज है। तहसीलदार की रिपोर्ट मे भी भौमसिंह पुत्र हरना ही दुरूस्त करने की अनुशंषा की है। इसलिये वादी का दावा डिकी फरमाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे भीमसिंह पुत्र हरना भैरूसिंह पुत्र हरना व भौमसिंह पुत्र हरना के स्थान पर भौमसिंह पुत्र हरना दर्ज करने के आदेश फरमावे। पैरोकार सरकार ने भी अपनी बहस मे कथन किया कि हरना की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामांतकरण दर्ज करते समय भीमसिंह पुत्र हरना भैरूसिंह पुत्र हरना दर्ज कर दिया है। भीमसिंह पुत्र हरना भैरूसिंह पुत्र हरना व भौमसिंह पुत्र हरना एक ही व्यक्ति है। जिसका वास्तविक नाम भौमसिंह पुत्र हरना है, जो सही है। दावा वादी डिकी फरमा दिया जावे।

वादी वकील एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन करते हुये पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। ग्राम शेखपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2038–41 के खाता संख्या 29, मे खातेदार हरना पुत्र बच्चा की विरासत के नामांतकरण संख्या 69 दिनांक 16.06.1992 से भीमसिंह पुत्र हरना दर्ज हुआ है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 157 मे भीम सिंह पुत्र हरना तथा खाता संख्या 351, 99, 299, मे भैरूसिंह पुत्र हरना दर्ज हो रहा है। वादी द्वारा एवं पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो आधार कार्ड न0 7932 3771 0169 भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र स0 आर जे/11/088/303094, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सैकण्डरी स्कूल परीक्षा 1982 की अंकतालिका एवं तहसीलदार टोडाभीम द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र कमांक 24654 दिनांक 26.12.2014 मे भौमसिंह पुत्र हरना नाम दर्ज है। प्रस्तुत दस्तावेजो एवं तहसीलदार लैण्ड होल्डर की अनुशंषा के आधार पर वादी का दावा बावत नाम दुरूस्ती इस्तकरारहक डिकी किया जाना उचित पाता हूँ।

अतः वादी का दावा बावत नाम दुरूस्ती इस्तकरारहक डिकी किया जाकर राजस्व रिकार्ड ग्राम शेखपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 157 मे भीमसिंह पुत्र हरना के स्थान पर भौमसिंह पुत्र हरना तथा खाता संख्या 351, 99, 299 मे भैरूसिंह पुत्र हरना के स्थान पर भौमसिह पुत्र हरना दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टोडाभीम राजस्व रिकार्ड मे अंकन करे। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

19.11.2020
(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली